जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 915 दि. 22.10.18

आदेश

विषय – विधान सभा चुनाव–2018 के दौरान मतदान बूथों पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने बाबत्।

श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र सं0 एफ.8(2)(28)निर्वा/2017/6769 दिनांक 04.10.2018 द्वारा आगामी विधान सभा चुनाव–2018 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां बिजली कनेक्शन नही है उन पर मतदान अवधि के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने हेतु व अमानत राशि से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त अवधि के लिये जिला कलेक्टर द्वारा उपलब्ध सूची के अनुसार मतदान बूथों पर सिंगल फेस (5 कि.वा. तक) अस्थाई विद्युत कनेक्शन जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके लिये व्यय होने वाली राशि का विवरण उपभोग की गई विद्युत के व्यय सहित मतदान के तुरन्त बाद निम्नलिखित दरों पर भुगतान हेतु मय विवरण, संबंधित वृत लेखाधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र शुल्क	रू0 200.00
स्थाई व्यय	रू0 250.00
विद्युत शुल्क (अस्थाई कनेक्शन हेतु)	रू0 13.20 प्रति यूनिट
स्थाई शुल्क	रू0 49.50 (तीन दिन के लिये)

अस्थाई विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक प्रक्रिया (जैसे प्रार्थना पत्र, स्टाम्प पेपर, एल फार्म, भुगतान हेतु अन्डरटेकिंग इत्यादि) जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति से पूरी करवा लेवें। उक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर की अनुमति से जारी किये जाते है।

आज्ञा से

22.10.18

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर